

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

अधिसूचना

क्रमांक 1022 / गोपनीय / 2021
दो-३-१ / 2021

जबलपुर, दिनांक 11 नवम्बर, 2021

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शवितर्यों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

सारणी

क्रमांक	अधिकारी का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
1	कुमारी पूर्णिमा सिंह बघेल, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, सतना।	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, सतना की हैसियत से।

टिप्पणी :— रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्र. Reg (IT) (SA) /2018/368, दिनांक 01/03/2018 के द्वारा ट्रांसफर व पोस्टिंग संबंधी आदेशों की प्रिटिंग, फोटोकॉपी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन सुनिश्चित करें।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,



१११०७
रजिस्ट्रार जनरल
४६

पृष्ठांकन क्रमांक 1023 / गोपनीय / 2021
दो-३-१ / 2021

जबलपुर, दिनांक 11 नवम्बर, 2021

प्रतिलिपि:-

- उपनियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स हबीबगंज, भोपाल-6, को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर को सूचनार्थ अग्रेषित।
- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (कम्प्यूटर), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- रजिस्ट्रार जनरल के सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- प्रशासनिक अधिकारी, सिविल चेकर/ क्रिमिनल चेकर/ शिकायत शाखा/ डी० ए० (गोपनीय शाखा)/ डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट (गोपनीय शाखा), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



४ (राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल
४६